न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी। विष्णु राय वगैरह

वाद संख्या –90 / 2018–19

धारा –107 द0 प्र0 सं0

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख संहित
26.06.2018	थाना प्रभारी अड़की DR N0- 09/18 दिनांक 19.06.2018 अप्राथमिकी सं0– 04 / 18 दिनांक 01.06.2018 द्वारा धारा –107 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु दायर किया गया। प्रथम पक्ष 1. शिवानी देवी, पति–स्व0 बासु राय, ग्राम–उपर बालालौंग थाना–अड़की, जिला– खूँटी ने द्वितीय पक्ष 1. विष्णु राय 2. गुरा राय 3.कृष्णा राय 4. भोंदू राय चारो पिता– मोना राय, 5. गोपाल राय पिता– बिन्दा राय, सभी ग्राम–उपर बालालौंग, थाना– अड़की, जिला– खूँटी द्वारा खाता संख्या– 10 प्लॉट नं0 3211 रकवा 15 डीसमील जमीन में हिस्सा का विवाद, कुआँ का पानी पीने से माना करने, गाली ग्लौज करने एवं जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जिससे दोनो पक्षों में तनाव पूर्ण स्थिति बनी हुई है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जायगी। अतः मैं **प्रणव कुमार पॉल** अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द0 प्र0 सं0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा करें क्यों नही उनको एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने हेतु प्रत्येक सदस्यों को एक हजार रूपये का बंध–पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश दिया जाय। दिनांक 03/07/2018 को उपस्थापित करें। [signature] 26/6/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।	47 26/6/18

तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त। दिनांक 28/12/19 को रखें। समयावधि समाप्त होने के कारण गई की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

K
30.11.19